

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 246
21 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

246. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए प्रस्तावित/आगामी कार्य का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार की उक्त कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र और कार्यान्वयन का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की निःशुल्क परामर्श सेवाएं प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग): सरकार सस्ती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए, गरीबों और वंचितों सहित पूरे देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग दिया जाता है। डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं में बाह्य रोगी सेवाएं, रोग आकलन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकार वाले व्यक्तियों की निरंतर परिचर्या और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10

बिस्तरों वाली इन-पेशेंट सुविधा का प्रावधान है। डीएमएचपी के तहत अनुमोदित 738 जिलों की राज्यवार सूची https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Approved_0.pdf पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के साथ-साथ, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत-एचडब्ल्यूसी योजना के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) पर प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। 18.07.2023 तक, 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 42 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 1,94,000 से अधिक फोनकॉल का उत्तर दिया गया है।

(घ) लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव को समझते हुए, सरकार ने कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- (i) सभी प्रभावित आबादी जिसे बच्चों, वयस्कों, बुजुर्गों, महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों में विभाजित किया गया है को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन की स्थापना।
- (ii) समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश/सलाह जारी करना।
- (iii) सभी के लिए तनाव और चिंता के प्रबंधन तथा सहयोग और परिचर्या के माहौल को बढ़ावा देने हेतु रचनात्मक और ऑडियो-विजुअल सामग्री के रूप में विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जानकारी देना।
- (iv) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निम्हान्स), बेंगलुरु द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश "कोविड-19 महामारी के समय में मानसिक स्वास्थ्य - सामान्य चिकित्सा और विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेटिंग्स के लिए मार्गदर्शन" का प्रचार और प्रसार।
- (v) सभी दिशानिर्देश, सलाह और समर्थन सामग्री को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के "व्यवहारिक स्वास्थ्य - मनोसामाजिक हेल्पलाइन" (<https://www.mohfw.gov.in/>) के तहत देखा जा सकता है।
- (vi) निम्हान्स द्वारा (आईजीओटी)-दीक्षा मंच के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मनोसामाजिक सहयोग हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता निर्माण।
